ए.

सुधीर रंजन पात्र (मृत) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी एस. और ए. एन. आर. बनाम

हिमांशु शेखर श्रीचंदन और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 3641)

बी.

17 मई, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:क्रम IX r.13 – एकतरफा डिक्री को अलग करना-तथ्यों पर, आवेदन यू/ऑर्ड IX आर।13 अपीलार्थीगण द्वारा विलंब की क्षमा की मांग, एक-पक्षीय डिक्री को दरकिनार करते हुए और उन्हें लिखित बयान दायर करने और गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए-निचली अदालत ने देरी को माफ करते हुए आवेदन को मंजूरी दी और एक-पक्षीय डिक्री को दरकिनार कर दिया-अपील में, उच्च न्यायालय ने हालांकि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:एक बार एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिया जाता है, तो अपीलार्थीगण को मुकदमे की सुनवाई की तारीख से पहले पद पर वापस नहीं भेजा जा सकता है-यह निचली अदालत पर छोड़ दिया जाना चाहिए था कि वह अपीलार्थीगण की प्रार्थना पर विचार करे कि उन्हें लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जाए या नहीं, जो कि आवेदन में भी प्रार्थना की गई थी-अपीलार्थीगण द्वारा लिखित बयान दायर करने की अनुमति देने के लिए की गई प्रार्थना पर निचली अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था-निचली अदालत ने देरी को माफ कर दिया और एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया और विलंब को माफ करने और एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने का उक्त आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

पकड़नाः**1.1** यह सच है कि इसके द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार

संग्राम सिंह के मामले और अर्जुन सिंह के मामले में अदालत जब

एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिया जाता है**,** प्रतिवादियों को तारीख ए से पहले पद पर नहीं भेजा जा सकता है।

एच.

381

382 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

मुक़दमे की सुनवाई जब उसे एकतरफा रखा गया था।उसे मुकदमे में कोई भी लिखित बयान दायर करने से रोक दिया जाएगा**,** लेकिन फिर वह मुकदमे की सुनवाई में भाग ले सकता है ताकि वादी के गवाह की प्रतिपरीक्षा की जा सके और तर्कों को संबोधित किया जा सके। तत्काल मामले में**,** आदेश **IX** नियम **13** के तहत सी**.** एम**.** ए**.** दायर करके**,** अपीलकर्ता**-**मूल प्रतिवादी संख्या **2** और **3** ने न केवल एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने का अनुरोध किया**,** बल्कि उन्हें लिखित बयान दायर करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया।दूसरे अनुरोध पर निचली अदालत द्वारा कोई आदेश और/या निर्णय नहीं था**,** अर्थात् प्रतिवादी संख्या **2** और **3** को लिखित बयान दायर करने की अनुमति देना या नहीं।इसलिए**,** एक बार जब एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिया जाता है**,** तो प्रतिवादियों को उस मामले में भी मुकदमे की सुनवाई की तारीख से पहले पद पर वापस नहीं भेजा जा सकता है**,** यह निचली अदालत पर छोड़ दिया जाना चाहिए था कि वह प्रतिवादी संख्या **2** और **3** की प्रार्थना पर विचार करे कि उन्हें लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जाए या नहीं**,** जो सी**.** एम**.** ए**.** में भी अनुरोध किया गया था। निचली अदालत ने आदेश पारित करते समय देरी को माफ कर दिया और एकतरफा आदेश को दरकिनार कर दिया और देरी को माफ करने और एकतरफा आदेश को दरकिनार करने का उक्त आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था।इसलिए**,** उच्च न्यायालय द्वारा की गई आगे की टिप्पणियों कि प्रतिवादी संख्या **2** और **3** को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है**,** को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सीएमपी के दायरे और दायरे से बाहर कहा जा सकता है।इन परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और यह मुद्दा/प्रश्न कि क्या प्रतिवादी संख्या **2** और **3** को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं**,** को निचली अदालत में भेज दिया जाएगा।**[**पैरा **6] [386-**जी**-**एच**; 387-**ए**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

1.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इस हद तक खारिज कर दिया गया है कि हालांकि एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है**,** लेकिन प्रतिवादी संख्या **2** और **3** को अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निचली अदालत प्रतिवादी संख्या **2** और **3** की प्रार्थना पर विचार करेगी कि क्या उन्हें कानून के अनुसार और अपने गुण**-**दोष के आधार पर अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए या नहीं।**[**पैरा **7] [387-**जी**-**एच**]**

एफ.

जी.

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और

एक और ए. आई. आर 1955 एस. सी. 425:[1955] एस. सी. आर. 1; अर्जुन सिंह

बनाम मोहिंद्र कुमार और अन्य ए**.** आई**.** आर**. 1964** एस**.** सी**. 993:**

[1964] एस**.** सी**.** आर**. 946-**आंशिक रूप से अप्रयोज्य।

एच.

383

सुधीर रंजन पात्र (मृत) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी वी.हिमांशु शेखर श्रीचंदन ए

ए.

मामला कानून संदर्भ

[1955] एस**.** सी**.** आर**. 1** आंशिक रूप से अप्रयोज्य पैरा **6 [1964]** एस**.** सी**.** आर**. 946** आंशिक रूप से अप्रयोज्य पैरा **6**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.3641।

बी.

2019 के सीएमपी No.1423 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.02.2022 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2022 की सिविल अपील No.3642।

सी.

विजय के. जैन, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, सुश्री शैलजा कुलश्रेष्ठ, नीतेश भंडारी, प्रभात कुमार राय, शूरजीत चक्रवर्ती, सुश्री अपराजित भारद्वाज, नवीन कुमार, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

एम. आर. शाह, जे.

1. सी. एम. पी. संख्या <आई. डी. 2 में कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.02.2022 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश IX नियम 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकतरफा डिक्री को दरकिनार करते हुए विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, उच्च न्यायालय ने कहा है और कहा है कि इसमें अपीलार्थीगण-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसमें अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 उस प्रत्यर्थी नं. 1 ने-मूल वादी ने सिविल सूट नं. 1783/2011 होने के कारण वाद अनुसूची भूमि पर अपने अधिकार, स्वामित्व, हित और कब्जे की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया।मूल वादी ने यह घोषणा करने के लिए एक डिक्री के लिए भी अनुरोध किया कि मूल प्रतिवादी संख्या 2 को वाद भूमि को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है और यह भी घोषणा करने के लिए कि 2000 की संख्या 3530 और 3533 वाले दो पंजीकृत बिक्री विलेख वादी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 और 5 पर बाध्यकारी नहीं हैं।मूल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत भी मांगी गई थी।यहाँ अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 में उपस्थित हुए

जी.

एच.

20.03.20212 पर मुकदमा दायर किया और अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय के लिए याचिका दायर की।हालांकि, कई बार स्थगन के बावजूद, उन्होंने लिखित बयान दाखिल नहीं किया।कि इसमें अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने अपना लिखित बयान दाखिल नहीं किया।इसके बाद, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा मुद्दे तैयार किए गए। 27.03.2017 पर, वादी ने एक हलफनामे द्वारा मुख्य परीक्षा में अपना साक्ष्य दाखिल किया।04.07.2017 पर, जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तो इसमें अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अनुपस्थित थे और इसलिए, उन्हें एकतरफा निर्धारित किया गया था।इसके बाद, वादी की ओर से, पीडब्लू-1 की जाँच की गई।मामले को तर्क के लिए 15.07.2017 पर पोस्ट किया गया था।उस तारीख को, मूल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने भी स्थगन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसके लिए मुकदमे को 17.07.2017 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिस तारीख को तर्क की सुनवाई की गई थी और 18.07.2017 पर निर्णय सुनाया गया था।विद्वत विचारण न्यायालय एक एकतरफा आदेश पारित किया।

बी.

सी.

इसके बाद, अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत सी. एम. ए. दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन के साथ एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए सी. एम. ए. संख्या 31/2018 दायर किया। इसमें अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने भी लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने और गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया।दिनांक 05.12.2019 के आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने देरी को माफ करके सी. एम. ए. को अनुमति दी।

डी.

ई.

2.2 सी. एम. ए. नं. 31/2018 को अनुमति देने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.12.2019 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल वादी-प्रत्यर्थी नं. 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष सी. एम. पी. नं. 1423/2019 दायर किया। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय ने विलंब को माफ करते हुए और एकतरफा डिक्री को दरकिनार करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, उच्च न्यायालय ने एक आदेश भी पारित किया है कि एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने पर और परिणामस्वरूप मुकदमा दायर करने के लिए बहाल किया जा रहा

है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वे केवल अपना मामला पेश किए बिना मुकदमे की सुनवाई में भाग ले सकते हैं।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि वे केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही अपना तर्क दे सकते हैं।

एफ.

जी.

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से इस हद तक व्यथित महसूस करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वे केवल अपना मामला पेश किए बिना मुकदमे की सुनवाई में भाग ले सकते हैं, मूल ए

एच.

385

सुधीर रंजन पात्र (मृत) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी वी.हिमांशु शेखर श्रीचंदन [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3-अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. इसमें अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता -मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि इसमें अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बी.

3.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई एकतरफा डिक्री को दरकिनार करके मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिए जाने के बाद, उच्च न्यायालय के लिए यह आदेश पारित करने के लिए खुला नहीं था कि एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल करने पर, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सी.

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जिसे चुनौती दी गई थी, वह विलंब को माफ करने और एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा

पारित विवादित आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सीएमपी के दायरे और दायरे से बाहर है।

डी.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार एकतरफा डिक्री को दरकिनार करके मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिया गया था और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था कि लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी जाए या नहीं, उच्च न्यायालय को इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहिए था और इसे विद्वत विचारण न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए था।

ई.

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था कि लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लिया जाए या नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था

एफ.

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और एक अन्य; ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425 और अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार और अन्य;

ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

जी.

4. प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नीतेश भंडारी ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपनी लिखित याचिका दायर करने के लिए कई अवसर दिए गए थे

एच.

2012 से 2017 के बीच का विवरण (एकपक्षीय डिक्री पारित होने तक)।इसलिए, उच्च न्यायालय को यह कहते हुए विवादित आदेश पारित करने में उचित ठहराया गया कि

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने पर अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि संग्राम सिंह (ऊपर) और अर्जुन सिंह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जब एक एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिया जाता है, तो प्रतिवादियों को मुकदमे की सुनवाई की तारीख से पहले पद पर वापस नहीं भेजा जा सकता है और उन्हें मुकदमे में कोई लिखित बयान दायर करने से रोक दिया जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है -

बी.

सी.

संग्राम सिंह (ऊपर) और अर्जुन सिंह (ऊपर)।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

6. शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जब अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत सी. एम. ए. संख्या 31/2018 दायर किया तो उन्होंने देरी को माफ करने के साथ-साथ एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने और लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने और गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया।दिनांक 05.12.2019 के आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने सी. एम. ए. नं. <आई. डी. 2. को अनुमति दी और देरी को माफ कर दिया और रुपये की लागत के अधीन एक-पक्षीय डिक्री को अलग कर दिया। 25, 000/- प्रत्येक वादी को भुगतान किया जाएगा।दिनांक 1 के आदेश से, यह प्रतीत नहीं होता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई और आदेश पारित किया गया था कि क्या एकतरफा डिक्री को दरकिनार करके, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विलंब को माफ करने और एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करके की गई है।हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा है कि एकतरफा डिक्री को रद्द करने और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल करने पर, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।संग्राम सिंह (ऊपर) और अर्जुन सिंह (ऊपर) के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।हालाँकि, यह सच है कि संग्राम सिंह (ऊपर) और अर्जुन सिंह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार जब एक एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिया जाता है, तो प्रतिवादियों को मुकदमे की सुनवाई की तारीख से पहले पद पर नहीं भेजा जा सकता है जब उन्हें एकतरफा रखा गया था।उसे मुकदमे

में कोई भी लिखित बयान दायर करने से रोक दिया जाएगा, लेकिन फिर वह मुकदमे की सुनवाई में भाग ले सकता है ताकि गवाह ए से जिरह की जा सके।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

387

सुधीर रंजन पात्र (मृत) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी वी.हिमांशु शेखर श्रीचंदन [एम. आर. शाह, जे.] ए.

वादी और संबोधित तर्क।तथापि, हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संग्राम सिंह (ऊपर) और अर्जुन सिंह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पूरी तरह से लागू नहीं होंगे।वर्तमान मामले में आदेश IX नियम 13 के तहत सी. एम. ए. दायर करके, अपीलार्थीगण-मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने न केवल एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने का अनुरोध किया, बल्कि उन्हें लिखित बयान दायर करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया।जैसा कि ऊपर देखा गया है, दूसरे अनुरोध पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश और/या निर्णय नहीं था, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को लिखित बयान दायर करने या नहीं करने की अनुमति देने के लिए।इसलिए, एक बार जब एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और मुकदमा दायर करने के लिए बहाल कर दिया जाता है और यहां तक कि संग्राम सिंह (ऊपर) और अर्जुन सिंह (ऊपर) के मामले में इस अदालत के फैसलों के अनुसार भी प्रतिवादियों को उस मामले में मुकदमे की सुनवाई की तारीख से पहले के पद पर वापस नहीं भेजा जा सकता है, तो यह विद्वत ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए था कि वह प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की प्रार्थना पर विचार करे कि उन्हें लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जाए या नहीं, जो सी. एम. ए. संख्या में भी अनुरोध किया गया था।

बी.

सी.

जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने के लिए की गई विशिष्ट प्रार्थना पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 1 का आदेश पारित करते हुए विलंब को माफ कर दिया और एकतरफा आदेश को दरकिनार कर दिया और विलंब को

माफ करने और एकतरफा आदेश को दरकिनार करने का उक्त आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा की गई आगे की टिप्पणियों कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सीएमपी के दायरे और दायरे से बाहर कहा जा सकता है।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश इस हद तक कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अस्थिर है और यह मुद्दा/प्रश्न कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, उसे विद्वत विचारण न्यायालय को भेजना होगा।

डी.

ई.

एफ.

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इस हद तक देखते हुए कि हालांकि एकतरफा डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।विद्वत विचारण न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की प्रार्थना पर विचार करेगा कि क्या उन्हें अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए या नहीं और जब भी विद्वत द्वारा इस तरह के प्रश्न/मुद्दे पर विचार किया जाए

जी.

एच.

विचारण न्यायालय, प्रत्यर्थी सं. 1-मूल वादी के लिए इसका विरोध करने के लिए और विद्वत विचारण न्यायालय के लिए इस प्रश्न/मुद्दे पर विचार करने के लिए खुला होगा कि क्या एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने पर, प्रतिवादी सं. 2 और 3 को कानून के अनुसार और अपने स्वयं के गुण-दोष के आधार पर अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति/अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए हमने किसी भी पक्ष के पक्ष में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।विद्वत विचारण न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के अनुरोध के संबंध में मुद्दे/प्रश्न पर विचार करेगा ताकि उन्हें मुकदमे की सुनवाई की पहली तारीख से तीन महीने की

अवधि के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जा सके, जो आज से एक महीने की अवधि के भीतर होगा।वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है। मामले के तथ्यों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

सी.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.